<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>29.07.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर/निदेशक/गारंटर, ईश्वरलाल शंकरलाल जैन, मनीष ईश्वरलाल जैन और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 26.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, कंपनियां और उसके निदेशक/प्रवर्तक आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के अपराधों में शामिल थे, और उन्होंने जानबूझकर भारतीय स्टेट बैंक से अपने ऋण और उधार पर चूक की, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 352.49 करोड़ रुपये (उस पर ब्याज सहित) का गलत नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रमोटरों ने ऐसे ऋण लेने के लिए फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। प्रमोटरों ने वित्तीय विवरणों को बढ़ाने के लिए लेन-देन की राउंड-ट्रिपिंग में भी लगे हुए थे और कंपनियों के लेखा परीक्षकों के साथ मिलीभगत करके रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश के लिए ऋण की आय को निकालने के लिए आरोपी कंपनियों के खातों की पुस्तकों में फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन दर्ज किए थे। प्रमोटरों को बैंक की सहमति के बिना इन ऋणों के खिलाफ गिरवी रखी गई संपत्तियों के कुछ हिस्सों को धोखाधड़ी से अलग करने और बेचने का भी दोषी पाया गया। वे ऋण आय के उपयोग की किसी भी जांच को रोकने के लिए आरोपी कंपनियों से संबंधित आपत्तिजनक डेटा को नष्ट करने में भी लगे हुए हैं।

इससे पहले, ईडी ने 17.08.2023 को जलगांव, नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में राजमल लखीचंद समूह के 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था और 24.36 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण/बुलियन और पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1) के तहत 1.121 करोड़ रुपये नकद के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया था। तलाशी और तलाशी के बाद की जांच से पुस्तकों में बुलियन और सोने के आभूषणों के फर्जी स्टॉक/लापता स्टॉक इन्वेंटरी, शेल कंपनियों का उपयोग, डमी निदेशकों की नियुक्ति आदि का पता चला है।

ईडी ने 13.10.2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत 315.60 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटर ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियां, पवन चक्कियां, आभूषण आदि सहित चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। उक्त कुर्की की पुष्टि पीएमएलए, नई दिल्ली के तहत माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 19.01.2024 के आदेश के माध्यम से की गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।